उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाषःपी०बी०एक्स०– 2622363, 2627111

फैक्स : 0522-2615526, 2628841, 2623578

पत्र संख्या 2114 /ITMS/ORS/पत्राचार/2014 दिनांक 30, जुलाई, 2014

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ.प्र. परिवहन निगम,

विषय : परिचालकों द्वारा स्टेजवाइज/ट्रिपवाइज रिपोर्ट का टिकट के स्थान पर प्रयोग करने के संबंध में।

निगम मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि परिचालकों द्वारा ई.टी.एम. से टिकट के अतिरिक्त स्टेजवाइज रिपोर्ट, ट्रिपवाइज रिपोर्ट आदि प्रिंट करा कर इसे टिकट के स्थान पर विक्रय कर निगम को आय की क्षति पहुंचाई जाने की संभावना है। उक्त आधार पर ई.टी.एम. में एक्टीवीटी लॉग सृजित करा दिया गया है जिसमें ई.टी.एम. में वेबिल डाउनलोड होने से कैश रिसीप्ट प्रिन्ट लेने तक इसके समस्त उपयोग का विवरण अंकित होगा जैसे विक्रय किये गये टिकट की संख्या, प्रिन्ट की गई स्टेजवाइज ट्रिपवाइज रिपोर्ट की संख्या, मशीन को ऑन अथवा ऑफ करने का विवरण आदि। उक्त क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि ई.टी.एम. जमा करते समय कैश रिसीप्ट के साथ एक्टीवीटी लॉग अवश्य प्रिन्ट कराया जाय तथा उसकी समीक्षा कर विभिन्न गतिविधियों के कारण परिचालक से ज्ञात किये जाय। टिकट के अतिरिक्त लिये गये प्रिन्ट जिनका परिचालक द्वारा प्रदत्त कारण संतोषजनक भी हो तो भी इन्हें परिचालक से प्राप्त कर कैश रिसीप्ट में नत्थी किया जाय जिससे इसका दुरूपयोग न हो सके। परिचालक द्वारा ई.टी.एम. के एक्टीवीटी लॉग अनुसार प्रयोग हेतु संतोषजनक उत्तर न दे पाने अथवा प्रिन्ट कराई गई रिपोर्ट जमा न करा सकने के संबंध में उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय। ऐसा विशेषकर उन सभी सेवाओं हेतु महत्वपूर्ण है जिनके लोड फैक्टर अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्रवर्तन कार्मिकों द्वारा भी मार्ग पर यात्रियों के टिकट की चेकिंग में टिकट के स्थान पर प्रयुक्त अन्य प्रिन्ट आउट के आधार पर तथा एक्टीवीटी लॉग के आधार पर भी समीक्षा की जाय। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।

(एच.एस. गावा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक/अपर प्रबंध निदेशक, निगम मुख्यालय।
2. मुख्य प्रधान प्रबंधक (प्रशासन/संचालन/प्राविधिक), निगम मुख्यालय।
3. वित्त नियंत्रक, निगम मुख्यालय।
4. समस्त नोडल अधिकारी, निगम मुख्यालय।
5. प्रधान प्रबंधक, प्रवर्तन निगम मुख्यालय।

(एच.एस. गावा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

Downloaded from www.upsrtc.com